भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 690

उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2025

उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (जीएमपीसीएस)

690. श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री यदुवीर वाडियारः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्टारलिंक कंपनी ने भारत में काम करने के लिए जीएमपीसीएस (उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार) लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया है और यदि हो, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देने और डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए ऐसी सार्वजनिक-निजी उपग्रह भागीदारी को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क), (ख) और (ग) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सुरक्षा शर्तों सहित यूएल के निर्धारित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत होने के पश्चात दिनांक 06.06.2025 को मेसर्स स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (जीएमपीसीएस) सेवा, कमर्शियल वीसैट सीयूजी सेवा और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) 'क' सेवा के लिए प्राधिकारों के साथ एकीकृत लाइसेंस (यूएल) प्रदान किया।

सैटेलाइट-आधारित संचार सेवाएं दूरदराज और पहाड़ी इलाकों सहित ग्रामीण, अल्पसेवित और सेवा से वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती हैं, जिन्हें अन्यथा ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव आदि जैसे स्थलीय मीडिया से कवर करना कठिन होता है। इसके अलावा, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारी, प्राधिकृत सेवा(ओं) के लिए सेवा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किसी भी आवेदक से भेदभाव किए बिना सैटेलाइट-आधारित संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इससे डिजिटल डिवाइड को कम करने, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की समस्याओं का समाधान करने और डिजिटल सेवा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

***